बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– प्र०-06-विविध-12/2020-1598 खाद्य, पटना/दिनांक 14/04/2020

प्रेषक,

पंकज कुमार पाल,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषयः– प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत माह अप्रैल 2020 से जून 2020 के लिए खाद्यान्न का मासिक आवंटन के साथ अतिरिक्त आवंटित चावल का वितरण सामाजिक दूरी बनाये रखते हुए कूपन के माध्यम से कराने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक 1529 दिनांक 03.04.2020 एवं पत्रांक 1538 दिनांक 07.04.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु विषयांकित खाद्यान्न का वितरण सामाजिक दूरी बनाये रखते हुए कूपन के माध्यम से निर्धारित समय पर कराने हेतु निदेश दिये गये है परन्तु ऐसा पाया जा रहा है कि कूपन का उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा बिना कूपनधारी उपभोक्ता को भी खाद्यान्न दिया जा रहा है। सरकार द्वारा इसे काफी गंभीरता से लिया गया है। आप अवगत है कि कूपन आधारित खाद्यान्न का वितरण नहीं होने से Social Distancing का पालन कराना संभव नहीं हो पायेगा, वैसी स्थिति में कोरोना का संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहेगी।

उपर्युक्त के आलोक में निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैः–

1. सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा उपयोग में लाने हेतु **कूपन पर तिथि, संख्या एवं समय** लिखा जाय एवं उसी के अनुसार उपभोक्ता को खाद्यान्न वितरण के एक दिन पूर्व दिया जाय।
2. निर्धारित तिथि एवं समय पर कूपन के अनुसार उपभोक्ता को सामाजिक दूरी (Social Distancing) के साथ Proper hygiene and Sanitation को बनाये रखते हुए खाद्यान्न का वितरण कराया जाय।
3. कोरोना वायरस के फैलने से रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक उपाय "क्या करें और क्या नहीं करें" से संबंधित निदेश पत्रांक 1538 दिनांक 07.04.2020 द्वारा दिया गया है, का अनुपालन दृढ़तापूर्वक कराना सुनिश्चित किया जाय।
4. सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि **कूपन पर अंकित तिथि एवं समय के अनुसार संबंधित उपभोक्ता को ही सामाजिक दूरी बनाये रखते हुए खाद्यान्न का वितरण जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा किया जा रहा है।** अगर किसी विक्रेता द्वारा कूपन आधारित खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जायेगा तो वैसी स्थिति में संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी को उपरोक्त निदेश का पालन दृढ़तापूर्वक कराने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

14/04/2020

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– प्र०-06-विविध-12/2020 1598 खाद्य, पटना/दिनांक– 14/04/2020

प्रतिलिपिः– अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।
14/04/2020